न्यायालय उपजिलाधिकारी, मु0गोहना

मु0 सं0 T-201500952658301 धारा 143 ज0वि0

रामनवल सिंह स्मारक महाविद्यालय मौ0 चिरैयाकोट परगना मु0 गोहना

बनाम

सरकार

नकल आदेश दिनांक 2-09-15 की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कीजिये

तहसीलदार / मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
तहसील-मुहम्मदाबाद गोहना मऊ

न्यायालय उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना–मऊ

रामनवल सिंह स्मारक महाविद्यालय
चिरैयाकोट–मऊ
बनाम
उ0प्र0 सरकार

वाद संख्या–201500952658301 / 16.09.2015
धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा–चिरैयाकोट, परगना–चिरैयाकोट
तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ

निर्णय

अजीत कुमार सिंह प्रबन्धक रामनवल सिंह महाविद्यालय, चिरैयाकोट–मऊ (उ0प्र0) ने इस कथन के साथ वाद प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–चिरैयाकोट, के आराजी नं0–1031, 1032, 55/4 व 9 कुल रकबा 2.991 हे0 का प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है तथा उक्त आराजी पर अजीत कुमार सिंह प्रबन्धक रामनवल सिंह महाविद्यालय, चिरैयाकोट–मऊ (उ0प्र0) का भवन एवं प्रांगण स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। इस कथन के साथ नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आख्या मंगाकर धारा 143 के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक करने की याचना किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक से आख्या मांगा गया तथा प्रतिवादिगण को नोटिस निर्गत हुआ, जो वादतामिल पत्रावली में सम्मिलित हैं। प्रतिवादिगण के तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। राजस्व निरीक्षक के आख्या के अनुसार उक्त भूमि में महाविद्यालय का भवन एवं प्रांगण है, जो अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है।

वादि के अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा राजस्व निरीक्षक की आख्या एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपनी नजरी नक्शा में उपरोक्त आराजी नं0 पर अजीत कुमार सिंह प्रबन्धक रामनवल सिंह महाविद्यालय, चिरैयाकोट–मऊ अंकित किया गया है तथा खसरा पर भी उक्त आराजी नम्बर पर अजीत कुमार सिंह प्रबन्धक रामनवल सिंह महाविद्यालय, चिरैयाकोट–मऊ का कब्जा अंकित है। शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, उनके अनुसार उक्त भूमि को अकृषिक करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व निरीक्षक की आख्या में उपरोक्त आराजी अकृषिक पायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नम्बर को अकृषिक (आबादी) घोषित करना न्यास संगत हैं।

आदेश

अतः भिखमपुर परगना–चिरैयाकोट, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–मऊ के आराजी नं0–1031, 1032, 55/4 व 9 कुल रकबा 2.991 हे0 का प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है। को धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अमल दरामद हेतु तहसीलदार मुहम्मदाबाद गोहना को एवं एक प्रति अनुपालनार्थ हेतु उप निबन्धक मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवयक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 21.09.2015

21/09/2015

उप जिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ

700
18/09/2015
19/09/2015
19/09/2015

सत्य–प्रतिलिपि
रीडर 19/09/2015
न्यायालय–उपजिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ